ील विरूद्ध नामान्तकरण, प्रकरण संख्या 04/2023 उनवान– शांति देवी बनाम चेतन कुमार
ो0

नामान्तकरण संख्या 668 दिनांक 20.05.1999 वाके ग्राम टोरडा तह0 सिकराय पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा।

अपीलाण्टस की ओर से श्री राकेश जैमन एड0

रेस्पोडेण्टस की ओर से श्री अमरनाथ शर्मा एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** 28/07/25

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 668 ग्रा0प0 टोरडा पेश की गई जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलाधीन नामान्तकरण से संबंधित विवादित भूमि ग्राम टोरडा तह0 सिकराय वर्तमान तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 1512 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2004 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 1766 रकबा 7 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2032 रकबा 12 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2038 रकबा 12 बिस्वा कुल किता तीन कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2033, 1995, 639 आदि है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2659, 2660, 2968, 3251, 3280, 3281, 3282, 3241, 3283, 3288 आदि है। यह है कि अपीलाधीन नामान्तकरण से संबंधित विवादित भूमि के मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी टोरडा तह0 सिकराय रहे है जो कि उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है। उक्त विवादित भूमि के मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल अपीलाण्टस के पिता है। यह है कि मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की पत्नि तीजो का स्वर्गवास हो गया है मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल का भी स्वर्गवास हो चुका है। मूल खातेदार कल्याण के 7 वारिस 3 पुत्र तथा 4 पुत्री है जो कि चेतन कुमार, नाथूलाल, बाबूलाल, शान्ति, कमला, सरोज, विमला है। मूल खातेदार कल्याण पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की फौतगी के बाद योग्य अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टोरडा ने कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलण्टस को बिना सुने बिना नोटिस दिये बिना पक्षकार बनाये सम्पूर्ण वारिसान की जांच किए बिना व बिना सहमति के व इकतरफा में कानून को ताक में रखते हुए संवैधानिक तरीके से केवल नाथूलाल बाबूलाल चेतन कुमार तीजो के पक्ष में नामान्तकरण खोल दिया और अपीलाण्टस के पक्ष में तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 4 एवं 5 के पक्ष में नामान्तकरण नहीं खोला जबकि कानूनन अपीलाण्टस शान्ति देवी, कमला, एवं रेस्पोडेण्टस सरोज, विमला के नाम भी विरासत का नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था अपीलाधीन नामान्तकरण बिना क्षेत्राधिकार के किया है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

अपीलाण्टस द्वारा अपीला नामान्तकरण के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद भी पेश किया गया है जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलाधीन नामान्तकरण एवं निर्णय दिनांक 20.05.1999 की अपीलण्टस को कतई जानकारी नहीं थी, अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलाण्टस को बिना सुने बिना नोटिस दिये बिना सहमति के इकतरफा में किया गया है। इसलिए जो नामान्तकरण प्रारम्भ से ही कलेअदम बेअसर प्रभावहीन एवं काननून शून्य है और ऐसे शून्य नामान्तकरण की अपील के लिए कानून कोई मियाद नियत नही है। दिनांक 19.06.2023 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट को ऐलानिया कहा कि तुम्होर हक हिस्से एवं कब्जेकाश्त की उक्त विवादित भूमि को हमारे नाम दर्ज करा ली एवं अब उक्त भूमि को हमने रूकमणी के नाम दर्ज करा दी है अब तुम्हारे हक हिस्से की भूमि से बेदखल करेंगे। इस पर अपीलाण्टस ने तहसील कार्यालय बहरावण्डा में दूसरे ही दिन दिनांक 20.06.2023 को जाकर पता किया तो अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 20.06.2023 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। इसलिए शून्य नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश करने के लिए काननून कोई मियाद नियत नहीं है फिर भी रफाये हुज्जत के लिए प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद मय शपथ पत्र पेश है।

इत्यादि पर अपीलाण्टस की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस की तलबी विधिवत जारी की गई। रेस्पोडेण्टस संख्या 4 एवं 5 की ओर से श्री अमरनाथ शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। शेष बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलाण्टस अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलाण्टस की पिता की खातेदारी भूमि रही है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकारी नियमानुसार अपीलाण्टस का हक हिस्सा है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना अपीलण्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिए, बिना नोटिस दिए एकपक्षीय नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो कि निरस्तनीय है। साथ ही दफा 5 पर निवेदन किया कि अपीलाण्टस को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने की दिनांक से अपीलाण्ट की अपील मियाद में है तथा शून्य नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश करने के लिए काननून कोई मियाद नियत नहीं है इसलिए अपीलाण्टस द्वारा पेश मियाद अधिनियम दफा 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार की जावे एवं विचाराधीन नामान्तकरण निरस्त किया जावे। रेस्पोडेण्टस की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपीलाण्टस की अपील तथा बहस में किए गए कथनों का पुरजोर विरोध किया तथा निवेदन किया कि अपीलाण्टस द्वारा झूठे तथा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है अपीलाण्टस का विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा पेश की गई अपील भी मियाद बाहर

उपखण्ड अधिकारी
विकास जिला बीकानेर

होने से खारिज योग्य है। इसलिए अपील विरूद्ध नामान्तकरण खारिज की जावे एवं विचाराधीन नामान्तकरण को यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्टस द्वारा ग्राम टोरडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 668 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.1999 से आहत होकर यह अपील पेश की गई है जिसमें दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। चूंकि उक्त नामान्तकरण बिना अपीलाण्टस को नोटिस दिए, बिना सुने दर्ज किया गया है इसलिए यह संभावित है कि अपीलाण्टस को उक्त नामान्तकरण की जानकारी ना हो। तथा जानकारी होने पर नामान्तकरण मय दफा 5 प्रार्थना पत्र अपीलाण्टस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया है। इसलिए अपीलाण्टस द्वारा पेश दफा 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा दर्ज नामान्तकरण संख्या 668 निर्णय दिनांक 20.05.1999 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण कल्याण सहाय के वारिसान में से केवल नाथूलाल, बाबूलाल, चेतन कुमार तथा तीजो के पक्ष में दर्ज किया गया है जबकि कल्याण सहाय के 7 वारिसान है। प्रकरण में तहसीलदार बहरावण्डा से भी सजरा खानदान के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई है जिसके अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मृतक कल्याणसहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल के वारिसान पत्नि तीजो देवी, पुत्र चेतन कुमार, नाथूलाल, बाबूलाल, पुत्रीया शांति, कमला, सरोज, एवं विमला थी। इस प्रकार कल्याण सहाय के पत्नि के अतिरिक्त कुल तीन पुत्र तथा चार पुत्रियां कुल सात वारिसान थे लेकिन सभी के नाम नामान्तकरण दर्ज नही किया गया है। रेस्पोडेण्टस द्वारा भी पत्रावली पर उपलब्ध सजरे खानदान के संबंध में कोई आपत्ति पेश नहीं की है जिससे यह स्पष्ट है कि सजरा खानदान भी सही है एवं अपीलाण्टस कल्याण सहाय की विधिक वारिस है लेकिन ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा कल्याणसहाय के वारिसान में से अपीलाण्टस तथा सरोज, विमला के नाम नामान्तकरण दर्ज नही किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी पुत्रियों को अपने पिता की भूमि एवं सम्पत्ति में कानूनन हक एवं अधिकार प्राप्त है। इसलिए उक्त नामान्तकरण में सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं है। तथा कानूनन पिता की सम्पत्तियों पर पुत्रियों का भी समान हक एवं अधिकार है फिर भी ग्राम पंचायत ने अपीलाण्टस के नाम नामान्तकरण नहीं करके कानून गलती की है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है।

अतः विवादित भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 668 निर्णय दिनांक ~~20.05.2025~~ 20.05.1999 खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार बहरावण्डा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में उक्त वर्णित नामान्तकरण संख्या 668 कि कियान्विति खारिज कर नामान्तकरण से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ जिला दौसा

पील विरूद्ध नामान्तकरण, प्रकरण संख्या 04/2023 उनवान– शांति देवी बनाम चेतन कुमार
ो0

पूर्व की स्थिति बहाल कर सभी विधिक पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुरूप पुनः निर्णय पारित कर सभी विधिक खातेदारान के नाम नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा